बातचीत के बिंदु-12

मजदूर –किसान संघर्ष रैली

सीटू-अखिल भारतीय किसान सभा-अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन

5 सितम्बर 2018

संसद के समक्ष

<u>ईपीएस-1995-श्रमिकों को दिया गया है धोखा</u>

कर्मचारी भविष्य निधि योजना स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में भारत सरकार द्वारा तैयार की गई सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक है। दूसरी कर्मचारी राज्य बीमा योजना है।

स्वतंत्रता के पहले से ही यह योजनाएं मजदूरों के संघर्षों की उपजरही थीं। उस समय भी सरकार ने कल्याणकारी राज्य के अपने दावो को मजबूत करने के लिए ऐसी योजनाएं तैयार की थीं।

पेंशन श्रमिकों की प्रमुख मांगों में से एक थीऔर अब भी है। उस समय, केवल केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए ही पेंशन योजना थी, जो कि ब्रिटिश काल के दौरान से ही अस्तित्व में थी।

जब श्रमिकों के लिए पेंशन की मांग तेज हुई, तो सरकार 1971 में एक पारिवारिक पेंशन योजना लेकर आई। दावा किया गया कि इससे उन श्रमिकों के परिवार, जो ईपीएफ के सदस्य हैं,सदस्य की मृत्यु पर लाभान्वित होंगे। लेकिन, यह योजना पूरी तरह विफल रही। सीआईटीयू ने अपनी ओर से इस योजना की कमजोरियों को उजागर करने का अभियान चलाया। यह योजना श्रमिकों के लिए फायदेमंद नहीं थी, हालांकि इसे बंद करते समय भी उसके कोष में 11,000 करोड़ रुपये की राशि जमा थी।

1990 के दशक तक आते आते, ईपीएफ और ग्रेच्युटी के अलावा, तीसरे लाभ के रूप में पेंशन की मांग ने ज़ोर पकड़ा। 1993 में, सरकार ने पेंशन योजना के लिए चर्चा शुरू की और अंततः ईपीएफ से जुड़ी एक पेंशन योजना तैयार की। सीआईटीयू और कई राष्ट्रीय परिसंघों ने इस योजना का इस आधार पर विरोध किया कि यह पेंशन योजना न तो श्रमिकों के लिए फायदेमंद होगी और न ही टिकाऊ होगी। सीआईटीयू ने इस योजना पर अपना रुख समझाते हुए व्यापक अभियान चलाया और विरोध में एक दिवसीय देशव्यापी हड़ताल भी आयोजित की। हालांकि केंद्रीय श्रम संगठनों के एक वर्ग ने सरकार की इस योजना का समर्थन किया। 1995 में, सरकार की ईपीएस योजना को अपनाया गया।

यह मुद्दा न्यायालयों में भी ले जाया गया। लंबी देरी के बाद, वर्ष 2003 में, सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस योजना 1995को मंजूरी दे दी। उसका मत था कि इसमे भारत सरकार द्वारा किए गए दावे के अनुरूप कई फायदेमंद प्रावधान है। उसने अपने फैसले के समर्थन में पेंशन के कम्यूटेशन (पेंशन के 10% का 100 गुना एकमुश्त राशि) प्राप्त करने, पूंजी की वापसी (मृत्यु के मामले में 10 प्रतिशत पेंशन समर्पण कर पेंशन का100 गुना प्राप्त करना), पेंशन की वार्षिक समीक्षा आदि प्रावधानों की ओर इशारा किया।

लेकिन चूंकि सरकार नव उदारवादी नीतियों के राह पर चलना शुरू कर चुकी थी,इसलिए उपरोक्त तीनोहितलाभोको भारत सरकार द्वारा 26.9.2008 को एकतरफा रूप से वापस ले लिया गया। यह ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (सीबीटी) में ना मात्र की भी चर्चा किएबगैर किया गया था।

इस समय तक, 2004 में, सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन योजना वापस ले ली थी और नई अंशदायी पेंशन योजना थोपदी, जिसे अब राष्ट्रीय पेंशन योजना के नाम से जाना जाता है।

कर्मचारी पेंशन योजना, जिसके लिए श्रमिकों का पैसा हड़पा जाता है, लाखों श्रमिकों को पेंशन के रूप में प्रति माह 100 रुपये से कम की कमाई के साथ एक मजाक बन गई है। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग अब व्यापक हो गई है। यूपीए II सरकार ने न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये तक बढ़ाने का फैसला किया, लेकिन इसे लागू करने में विफल रही। वर्तमान एनडीए सरकार ने 2014 में इसे लागू करना शुरू किया, लेकिन शर्तों के साथ। आज भी बड़ी संख्या में पेंशनभोगियों को पेंशन के रूप में प्रति माह 1000 से कम ही मिलते हैं।

2008 से पहले भुगतान की गई कम्यूटेशन राशि को कई लोगों नेवापस कर दिया है। लेकिन 180 महीने बीतने के बाद भी 100 महीने के उनके भुगतान के पश्चात पेंशन में हुई कमी जारी है। पूंजी की वापसी के लिए किए गए दस प्रतिशत कटौती को पूंजी वापसी योजना वापस लेने के बाद भी लौटाया नही गया है। इसके अलावा, पेंशन योग्य वेतन की गणना बदल दी गई है। हालांकि यह पहले 12 महीने के औसत से था, जिसे बाद मे 36 महीने तक बढ़ाया गया और अब इसे औसत 60 महीने तक आगे कर दिया गया है।

इनके साथ, भारत सरकार लगातार ईपीएफ ग्राहकों को उनके हितलाभ कम करने या उन्हे इनकार करने के प्रयास कर रही है। वर्तमान बीजेपी सरकार के मुताबिक, "श्रमिक ईपीएफ और ईएसआई जैसी योजनाओं के बंधक हैं क्योंकि यह उन लोगों के लिए अनिवार्य है जिनके लिए यह योजना लागू होती है।"इसबात कोसंसद में अपने एक बजट भाषण में किसी और ने नही, बल्कि वित्त मंत्री ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था। अतः, “यह सरकार इन "बंधको" को अपने बंधन से मुक्त करना चाहती है।”

और कैसे? बीजेपी सरकार द्वारा इसके लिए उठाए गए कुछ कदमों को देखें।

उसने ईपीएफ राशिपर टैक्स लगाने के अपने इरादे की घोषणा की। लेकिन बड़े पैमाने पर विरोध के बाद इस फैसले को वापस लेने के लिए उसे मजबूर होना पड़ा।

उसने घोषणा की कि श्रमिक, अपनी सेवानिवृत्ति की आयु के पूर्व, अपनी ईपीएफ राशि, जो उनका अपना पैसा है,वापस नहीं ले सकते हैं। श्रमिकों के कड़े विरोध के कारण इस फैसले को भी वापस लेना पड़ा।

अब, सरकार, सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की आपत्तियों के बावजूद, इस फंड मे वार्षिक संग्रहणका 15 प्रतिशत शेयर बाजार में निवेश कर रही है। यह बताया जा रहा है कि सरकार इसे और बढ़ाना चाहती है।

ईपीएफ कोष की ब्याज दरें लगातार कम हो रही हैं। अब यह 8.55% है। सभी बचत योजनाओं में ब्याज दरों में इस कमी का उद्देश्य शेयर बाजार की ओर इन्हे धकेलना है।

एक तरफ, श्रमिकों के लाभ पर हमला किया जा रहा है। दूसरी ओर, नए भर्ती वाले कर्मियों के लिए,भारत सरकार ईपीएफ मे नियोक्ता का हिस्सोका भुगतान रोज़गार के अवसरों के बढ़ाने के नाम पर करती है।

सरकार ने अब ईपीएफ में नियोक्ता के हिस्से को 12% से कम कर 10% करने का प्रस्ताव दिया है, जिसके परिणामस्वरूप नियोक्ताओं के सैकड़ों करोड़ों रुपये बच जाएंगे। हालांकि, इसे भी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के मजबूत विरोध के कारण स्थगित कर दिया गया था।

श्रृंखला में सबसे ताजा प्रयास महिला श्रमिकों के पीएफ अंशदान को 12% से घटाकर 8% करने का प्रयास है। इसके लिए यह हास्यास्पद दावा है कि इससे महिलाओं के रोजगार में वृद्धि होगी!

ईपीएफ ने एक विकल्प दिया था कि यदि कर्मचारी और नियोक्ता सहमत हो तो ईपीएफ और ईपीएस योगदान वेतन सीमा से परे अर्थात पूरे वेतन तक हो सकता है। अगस्त 2014 तक यह विकल्प अस्तित्व में था। लेकिन जिन लोगों ने पूरे वेतन तक योगदान दिया था उन्हे भी पेंशन में वृद्धि नही मिली। सुप्रीम कोर्ट ने श्रमिकों के पक्ष सुनाया

था। लेकिन यह भी ईपीएफओ द्वारा पूरी तरह कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। ईपीएफओ का दावा है कि छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों (जहां ईपीएफ ईपीएफओ की देखरेख में ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है), के श्रमिक इस बढ़ी पेंशन का दावा करने की पात्रता नही रखते हैं। यह मुद्दा अब विभिन्न अदालतों से समक्ष है।

कुल मिलाकर, सामाजिक सुरक्षा पर हमला, जो नवउदारवादी निजाम का एक अभिन्न हिस्सा है, जारी है। राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संहिता केमसौदे के तहत ईपीएफ, ईएसआई और विभिन्न कल्याण निधियों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में सार्वभौमिक कवरेज के नाम पर समाहित किया जा रहा है। लेकिन सामाजिक सुरक्षा संहिता पर इस संहिता मे इस बात का जिक्र नहीं है कि श्रमिकों को किस तरह के हितलाभ उपलब्ध होंगे।

सीआईटीयू ने इसपर अपना कडा विरोध दर्ज किया है। अन्य केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने भी इसका विरोध किया है। ईपीएफ पेंशनभोगी संगठन पहले से ही संघर्ष की राह पर हैं। उनकी न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, पेंशन को जीवनयापन के सूचकांक की लागत से जोड़ने, एकतरफा वापस लिए गए हितलाभों की बहाली, कम्यूटेशन के लिए कटौती की गई अधिक राशि की वापसी, पेंशन बढ़ोत्तरी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कार्यान्वयन की मांग आदि है।

5 सितंबर 2018 की मजदूर- किसान संघर्ष रैली सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की मांग पर है। यह रैली ईपीएफ और ईएसआई में बदलाव की मांग भी करती है जिससे श्रमिकों को लाभ पहुंचे। यह रैली बीजेपी की सरकार को चेतावनी देने के लिए है कि मौजूदा सामाजिक सुरक्षा अधिनियमों को कमज़ोर करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह रैली उस नवउदारवादी निजाम को पलटने की मांग पर है, जो मुट्ठी भर देशी और विदेशी कार्पोरेटों के लाभ के लिए,श्रमिकों द्वारा कठिनाईयो से हासिल अधिकारों पर डाका डालना चाहता है।

आईए, हम एकजुट हो! संघर्ष करें!

• वो सरकारें नहीं चलेगी जो 0.1% के लिए काम करती हैं

• वह नीतियाँ चाहिए जो 99.9% को लाभ पहुंचाए